

संयुक्त निगमों के समुदाय सुरक्षित रूप
 से कार्य कर रहे हैं।

ग्यावरण का दृष्टि न राज्य वन निधि
अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम
दुई लाख एकड़ होना चाहिये।

समस्त प्रकार के भवन/ इन्द्रज्वर का सुरक्षा हेतु विभिन्न स्तरों पर समस्त दीवारों के ऊपर आन्तरीयणीय टाई गीप अच्छा पतित/अतिरक्त है। जो डीपीविली लेजर सिस्टम व प्रत्येक छत के नीचे डाले जाते।

स्थल पर एक बाड़ पर स्वीकृत गानविद्य क
संस्था व दिनांक लिखना अनिवार्य होगा।

यह मगध रवी कुषि से केवल पाँच वर्ष तक वैध है

स्वागित्य सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

